उत्तर प्रदेश परिवहन निगम अयोध्या क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यशाला अयोध्या में साइलेन्ट फीचर जनरेटर किराये पर लगाये जाने हेतु निविदा।

परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या 702एमटी2015–60एमटी/94(III) दिनांक 30.03.2015 के अनुपालन में अयोध्या क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यशाला मसौधा अयोध्या के सम्मुख अंकित क्षमता के साइलेन्ट फीचर जनरेटर सेट नया एवं ब्राण्डेड(किर्लोस्कर, कमिन्स, लीलैण्ड, महिन्द्रा एवं जैक्सन आदि) किराये पर लगाये जाने हेतु निविदाएँ आमंत्रित की जाती है इच्छुक फर्म/व्यक्ति अपनी निविदाएँ/प्रस्ताव निविदा प्रपत्र जो दिनांक 07.12.2018 से किसी भी कार्य दिवस में रू0500.00+90.00(GST 18%)=590.00 (कर सहित) का भुगतान कर सेवा प्रबन्धक कार्यालय, मोती नगर मसौधा अयोध्या से प्राप्त किये जा सकते है अथवा निगम की website-www.upsrtc.com से डाउनलोड कर अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय पर दिनांक 22.12.2018 को समय प्रातः 10.00 बजे से 14.00 बजे अपरान्ह तक प्रस्तुत कर सकते है। निविदा उसी तिथि को 15.00 बजे खोली जायेगी।

निर्धारित अवधि के उपरान्त प्राप्त होने वाली निविदाओ/प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदा के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय क्षेत्रीय समिति द्वारा लिया जायेगा। अनुबन्ध 03 वर्ष लिए किया जायेगा, तथा कार्य संतोषजनक न पाये जाने पर अनुबन्ध किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है। निविदा लिफाफे पर स्पष्ट रूप से निम्न प्रकार अंकित किया जाये–

क0सं0	कार्यालय/कार्यशाला	क्षमता
1	क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय अयोध्या	15KVA
2	क्षेत्रीय कार्यशाला मसौधा अयोध्या	63KVA

शर्तेः–

1. निविदा स्वीकृत होने के पश्चात 15 दिवसों के अन्दर नया जनरेटर सेट लगाया जाना अनिवार्य होगा तथा उसकी क्रय रसीद प्रस्तुत करनी होगी।
2. डीजल औसत की समीक्षा सेवा प्रबन्धक अयोध्या द्वारा गठित समिति, द्वारा समय–समय पर की जायेगी। जिसके सदस्य निविदादाता/प्रतिनिधि भी होंगे। सेवा प्रबन्धक द्वारा डीजल औसत निर्धारण हेतु प्रक्रिया निर्धारित की जायेगी एवं निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत ही इकाई की गठित समिति डीजल औसत का निर्धारण करेगी। समिति द्वारा निर्धारित डीजल औसत के अनुसार संचालित घंटों के आधार (निर्धारित खपत अथवा वास्तविक खपत में से जो कम हो,) पर डीजल मूल्य का भुगतान किया जायेगा।
3. जनरेटर किसी भारतीय प्रतिष्ठित कम्पनी का साइलेन्ट जनरेटर होना चाहिये।
4. जनरेटर का समस्त संचालन एंव मेन्टीनेन्स व्यय कलपुर्जो सहित (जैसे आपरेटर, डीजल, मेन्टीनेन्स, मेन्टीनेन्स से सम्बधित सामान, कलपुर्जे इत्यादि)निविदादाता द्वारा किया जायेगा।
5. किराये पर लगाये जाने वाले जनरेटर में इलेक्ट्रानिक मीटर लगा(Inbuild) होना चाहिये, ताकि टेम्परिंग न की जा सके।
6. किराये पर लगाये जाने वाली जनरेटर की लाग बुक मेन्टेन की जायेगी जिस पर सम्बन्धित फोरमैन अपने हस्ताक्षर करेंगे तथा सम्बन्धित सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक सप्ताह में एक बार तथा सेवा प्रबन्धक माह में एक बार लाग बुक को अवलोकित कर अपने हस्ताक्षर करेंगे।
7. जनरेटर अथवा उसकी क्षमता में आवश्यकता अनुसार क्षेत्रीय समिति द्वारा बदलाव किया जा सकता है।
8. फर्म द्वारा भुगतान प्राप्त करने हेतु डीजल व्यय एवं जनरेटर के किराये के अलग बिल कार्यालय अधीक्षक/वरिष्ठ अग्रजन द्वारा बिल सत्यापित व सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कराते हुए प्रत्येक माह की 05 तारीख तक प्रस्तुत करने के उपरान्त जनरेटर के मासिक किरायें/बिल का भुगतान किया जायेगा।
9. जनरेटर के मासिक किराये/बिल के भुगतान की धनराशि पर देय जीएसटी/ईपीएफ एवं विधिक देयता निविदादाता द्वारा वहन की जायेगी।
10. जनरेटर का संचालन निविदाकर्ता द्वारा अपने कार्मिक के द्वारा ही कराया जायेगा एवं रखरखाव,मेन्टीनेन्स अपने स्तर से निविदाकर्ता द्वारा कराया जायेगा। जनरेटर द्वारा पावर बैकअप की सुविधा 24 घन्टे के आधार पर उपलब्ध करानी होगी। जनरेटर खराब होने की स्थिति में संचालक को दूसरा जनरेंटर तत्काल उपलब्ध कराना होगा।
11. जनरेटर संचालन के दौरान यदि निविदादाता की कोई क्षति होती है तो परिवहन निगम की कोई जिम्मेदारी नही होगी।
12. जनरेटर संचालन के दौरान यदि परिवहन निगम की कोई क्षति होती है तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी निविदाकर्ता की होगी।

Downloaded from www.upsrtc.com

13. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से ध्वनि एवं वायु प्रदूषण का अनापत्ति प्रमाण पत्र निविदादाता द्वारा प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
14. जमानत के रूप में धनराशि रू010000.00(रूपये दस हजार मात्र) का अर्नेस्टमनी का बैंक ड्राफ्ट जो सेवा प्रबन्धक उत्तर प्रदेश परिवहन निगम अयोध्या के नाम से प्रत्येक निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। जिसको कार्यादेश न होने की दशा में सम्बन्धित फर्म को वापस कर दिया जायेगा।
15. किसी भी निविदा को स्वीकार/अस्वीकार किये जाने का अधिकार सक्षम अधिकारी में निहित होगा।
16. निविदा स्वीकार होने पर निविदादाता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि एवं उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के मध्य अनुबन्ध पत्र निस्पादित किया जायेगा एवं अन्य औपचारिकताए निविदादाता द्वारा पूर्ण करनी होगी।
17. जनरेटर स्थापित किये जाने का समस्त व्यय निविदादाता को स्वयं वहन करना होगा।
18. निविदादाता को अपने प्रस्ताव/निविदा में जनरेटर की डीजल खपत प्रति घण्टा अंकित करना अनिवार्य है।
19. भुगतान RTGS के माध्यम से किया जायेगा।
20. देय जीएसटी/अन्य कर/ईपीएफ निविदादाता द्वारा स्वयं वहन करना होगा।
21. किसी भी निविदा/टेण्डर/वर्कआर्डर को बिना कोई कारण बताये किसी भी समय स्वीकार/ अस्वीकार/निरस्त करने का निर्णय क्षेत्रीय समिति में निहित होगा।
22. प्रत्येक माह जीएसटी/ईपीएफ जमा कराये जाने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही आगामी माह का भुगतान किया जायेगा।
23. न्यूनतम घण्टे/संचालित घण्टे के आधार पर दर प्रदर्शित की जाये।
24. परिवहन निगम मुख्यालय के द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों को फर्म को मानने को बाध्य होगी।
25. टेण्डर/निविदा की अवधि 03 वर्ष के लिए होगी। फर्म के द्वारा जनरेटर संचालन संतोषजनक नहीं किया जाता है अथवा नियम/शर्तो के अनुसार जनरेटर संचालन न करने की स्थिति में कार्यादेश/अनुबन्ध बिना किसी पूर्व सूचना के तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।

(के0के0सिंह)
सेवा प्रबन्धक
अयोध्या क्षेत्र

कार्यालय सेवा प्रबन्धक उत्तर प्रदेश परिवहन निगम
अयोध्या

पत्रांकः-अयो0क्षे0/से0प्र0/संचा0-निविदा/2018/ 1225 दिनांक 06-12-18

प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-
1. मुख्य प्रधान प्रबन्धक(प्रावि0/संचालन)महोदय, परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ।
2. प्रधान प्रबन्धक (विविध/एम0आई0एस0)महोदय, परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ।
3. क्षेत्रीय प्रबन्धक उत्तर प्रदेश परिवहन निगम अयोध्या।
4. सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक(वित्त),/सहायक लेखाधिकारी, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम अयोध्या।
5. सहायक प्रबन्धक(एम0आई0एस0) परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ को बेबसाइट पर विज्ञाप्ति प्रकाशित किये जाने हेतु सूचनार्थ।
6. निगम की बेबसाइट पर अपलोड हेतु bablu@otpl.co.in & tender@upsrtc.com
7. सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक उत्तर प्रदेश परिवहन निगम फैजाबाद/सुलतानपुर/अमेठी/अकबरपुर डिपो को इस आशय से प्रेषित कि वह समस्त बस स्टेशनो के नोटिस बोर्डो पर इस विज्ञप्ति की प्रति चस्पा कराया जाना सुनिश्चित करें।
8. नोटिस बोर्ड-कार्यालय जिलाधिकारी महोदय अयोध्या/क्षेत्रीय प्रबन्धक/सेवा प्रबन्धक कार्यालय।

सेवा प्रबन्धक
अयोध्या क्षेत्र

Downloaded from www.upsrtc.com

Service Manager
U. P. S. R. T. C.
Faizabad

निविदा प्रपत्र मूल्य रू0590/–

कार्यालय सेवा प्रबन्धक
उत्तर प्रदेश परिवहन निगम अयोध्या

निविदा–प्रपत्र

जनरेटर लगने का स्थान–..

1– निविदा दाता फर्म का नाम– ....

2– निविदा दाता का पता–(छायाप्रति संलग्न करें) ....
....

3– धरोहर राशि का विवरण–ड्राफ्ट सं0.............................दिनांक........................धनराशि............

4– अनुभव का विवरण–..

5– पैनकार्ड का विवरण–(छायाप्रति संलग्न करें)..

6– जी0एस0टी0नं0 का विवरण–(छायाप्रति संलग्न करें)..

7– ई0पी0एफ0 का रजिस्ट्रेशन नं0(छायाप्रति संलग्न करें)..

8– प्रस्तावित दरें–(आपरेटर, मेन्टीनेन्स, मेन्टीनेन्स से सम्बन्धित सामान, कलपुर्जे इत्यादि सहित)

(आपरेटर सहित)

क. जनरेटर किराया प्रति माह–.......................+जीएसटी की दर..................... कुल धनराशि (अंको में)...............................(शब्दों में)..

ख. डीजल खपत ली0 प्रति घण्टा..

(बिना आपरेटर)

क. जनरेटर किराया प्रति माह–.......................+जीएसटी की दर..................... कुल धनराशि (अंको में)...............................(शब्दों में)..

ख. डीजल खपत ली0 प्रति घण्टा..

8– बैंक एकाउन्ट का विवरण(आई0एफ0एस0कोड सहित)–(छायाप्रति संलग्न करें) ....
....

9– संलग्नकों का विवरण–..

....

निविदादाता के हस्ताक्षर

Downloaded from www.upsrtc.com